न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3073–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–7–2014 पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी, बरघाट जिला सिवनी – प्रकरण क्रमांक 10 अ–6–अ/11–12 अपील

1– बाबूलाल पुत्र स्व. रंगो पॅवार
ग्राम जेवनारा तहसील बरघाट
2– श्रीमती गोंदनवाई पुत्री स्व.रंगो पॅवार
पत्नि ताराचंद ग्राम खूॅट तहसील बरघाट
3– श्रीमती मांगनवाई पुत्री स्व.रंगो पॅवार
पत्नि छतरसिंह ग्राम सुकतारा
तहसील कुरई जिला सिवनी
4– श्रीमती सागनवाई पुत्री स्व.रंगो पॅवार
पत्नि भूरसिंह चौधरी ग्राम केसला
तहसील बरघाट जिला सिवनी ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– जयसिंह पुत्र स्व. रंगो पॅवार
ग्राम इंदौरी तहसील बरघाटर जिला सिवनी
2– मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री पी.के.तिवारी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री वाई.एस.भदौरिया)

आ दे श

(आज दिनांक 6–11–2015 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, बरघाट जिला सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 10 अ–6–अ/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–7–14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार बरघाट व्दारा प्रकरण क्रमांक 43 अ-6-अ/06-07 में पारित आदेश दिनांक 5-3-2008 के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक-1 ने अनुविभागीय अधिकारी, बरघाट के न्यायालय में अपील क्रमांक 10 अ-6-अ /11-12 प्रस्तुत की, जिसके संलग्न अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी बरघाट ने उभय पक्ष को श्रवण कर अंतरिम आदेश दिनांक 23-7-14 पारित किया तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण उभय पक्ष के अंतिम तर्क हेतु नियत किया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में देखना यह है कि अनुविभागीय अधिकारी बरघाट ने अपील क्रमांक 10 अ-6-अ /11-12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23-7-14 से विलम्ब को क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है :-

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा- 47 तथा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-5 - समयवर्जित अपील सुनने की अधिकारिता न्यायालय को नहीं है - अपीलीय न्यायालय ऐसी अपील में केवल उसे समय-वर्जित होने के आधार पर खारिज करने का आदेश दे सकता है अथवा विलम्ब क्षमा कर सकता है किन्तु उसके गुणगुण पर निर्णय करने की अधिकारिता उसे प्राप्त नहीं है। रामलाल वि.रामचंद स्वामी 1967 **J.L.J.S.N.** 43 से अनुसरित

2. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963 - धारा -5 - पर्याप्त कारण होने से न्यायालय वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है।

3. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) धारा 47,50 एंव परिसीमा अधिनियम 1963 - धारा -5 - अपील फायल करने में विलम्ब माफ करने के निचले न्यायालयों के आदेश बैध तथा उचित-हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

अतएव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के परीक्षण उपरांत अनुविभागीय अधिकारी बरघाट द्वारा अपील क्रमांक 10 अ-6-अ /11-12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23-7-14 में किसी प्रकार की अनियमितता नजर नहीं आती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी बरघाट द्वारा अपील क्रमांक 10 अ-6-अ /11-12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23-7-14 विधिवत् पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतएव निगरानी इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर